सरकूलर नं0: अपमा/2014–2016/358 दिनांक: 13–8–2016

''वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी बिल) के सन्दर्भ में''

सभी व्यापारी भाईयों को पुनः सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) लागू किया जा रहा है। इस बिल में व्यापार से संबंधित कई ऐसे जटिल प्रावधान हैं यदि शीघ्र ही उन जटिल प्रावधानों को बिल से नहीं हटवाया गया तो भविष्य में हमारा व्यापार खत्म हो जाऐगा।

साथियों, वस्तु और सेवा कर(जीएसटी बिल) के विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हेतु **''शाह आडीटोरियम'' श्री दिल्ली गुजराती समाज, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में सायं 5.00 बजे एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।** इस कार्यशाला में वस्तु और सेवा कर(जीएसटी बिल) के विषय पर जानकारी देने हेतु विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया ह, ''श्री सुशील वर्मा जी'' मुख्य विशेषज्ञ होंगे जो व्यापारी भाईयों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के जवाब देंगें।

यदि किसी व्यापारी भाई को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) के विषय में जानना हो, समझना हो अथवा इस संबंध में उनके कोई प्रश्न हों तो वे इस कार्यशाला में पधारकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

सभी व्यापारी भाईयों से पुनः अनुरोध है कि **बुद्धवार दिनांक 17–8–2016 को ''शाह आडीटोरियम'' श्री दिल्ली गुजराती समाज, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में आयोजित होने वाली कार्यशाला में** ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँचकर विशेषज्ञों द्वारा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी बिल) के बारे में दी जाने वाली जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठाएं।

(आर.के. गुप्ता)
महासचिव